न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सीमा मीणा, आर.ए.एस. (प्रशिक्षु)

प्रार्थना पत्र संख्याः–39 / प्रा0पत्र / 2024 (GCMS NO.2024 / 284) दायरा दिनांक :– 26.11.2024

1. जगदीश आ0 हरदेव जाति गुर्जर निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल आ0 जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
2. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार साहब तहसील नैनवां, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 131, 136 के तहत वास्ते इन्द्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीः– श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 16.01.2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नैनवां प्रथम पटवार हल्का नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के वर्तमान खाता संख्या 215 की कृषि भूमि खसरा संख्या 5922 / 4278 रकबा 0.2832 हैक्टयर स्थित है, जिसका खातेदार आसामी प्रार्थी है जो इसी हैसियत से काबिज काश्त चला आ रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी को वर्षो पूर्व नियमानुसार आवंटित हुई थी व नियमानुसार ही पटवारी जी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा किया गया था, जो कब्जा दिया गया था वह मूल खसरा संख्या 5922 / 4278 जिसकी चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार है– उत्तर से खसरा संख्या 4279, दक्षिण में खसरा संख्या 6452 / 3547, पश्चिम में खसरा संख्या 4277 व 4278, पूर्व में खसरा संख्या 4289 जिसको परिशिष्ट ''अ'' में लाल स्याही से दर्शाया गया परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित स्थान पर की जावे। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार कार्यालय तहसीलदार नैनवां का पत्रांक :– 5030 दिनांक :– 02.12.2024 द्वारा निवेदन किया कि ग्राम नैनवां प्रथम की जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या 215 के खसरा संख्या 5922 / 4278 रकबा 0.2832 हैक्टर किस्म बंजड जगदीश आ0 हरदेव जाति गुर्जर सा. देह खातेदार तथा ग्राम नैनवां प्रथम की जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या 422 के खसरा संख्या 4278 रकबा 0.2912 हैक्टर किस्म बंजड भंवरलाल आ0 जगन्नाथ जाति गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा ग्राम नैनवां प्रथम की जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या 422 के खसरा संख्या 4277 रकबा 0. 2103 हैक्टर किस्म माल 1 भंवरलाल आ0 जगन्नाथ जाति गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताविक नक्शा लट्ठा एवं नक्शा शीट में खसरा संख्या 5922 / 4278 में रकबा बरारी करने पर लगभग 1.08 बीघा पर जगदीश आ0 हरदेव जाति गुर्जर सा. देह की तरमीम कर रखी है। ऑन लाईन नक्शा शीट में उक्त तरमीम लगभग 0.10 बीघा की भूमि पर कर रखी है। उक्त खसरा संख्या की भूमि पर प्रार्थी जगदीश आ0 हरदेव का लगभग 1.02 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। जबकि जगदीश आ0 हरदेव जाति गुर्जर के नाम उक्त खसरा संख्या 5922 / 4278 में 1.15 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मौके के अनुसार ग्राम नैनवां प्रथम के आराजी खसरा संख्या 4277 रकबा 0.2103 में भूमि से लगभग 0.05 बीघा की भूमि भी जगदीश आ0 हरदेव जाति गुर्जर सा. देह का कब्जा काश्त है। जबकि खसरा संख्या 4277 सेटलमेन्ट का मूल खसरा नम्बर में है। ग्राम नैनवां प्रथम की आराजी खसरा संख्या 4277 रकबा 0.2103 हैक्टर भूमि में से लगभग 0.08 बीघा भूमि पर जगदीश आ0 हरदेव जाति गुर्जर सा. देह को खातेदार घोषित करते हुए तथा खसरा संख्या 5922 / 4278 रकबा 0.2832 हैक्टर भूमि में से 1.07 बीघा भूमि पर जगदीश आ0 हरदेव जाति गुर्जर सा. देह की तरमीम शुद्ध करने अथवा ग्राम नैनवां प्रथम की आराजी खसरा संख्या 5922 / 4278 रकबा 0.2832 हैक्टर

भूमि की तरमीम रिकार्ड में दर्ज रकबे के अनुसार तरमीम शुद्ध करने का आदेश प्रदान करें एवं पूर्व में दर्ज नक्शा लट्ठा एवं नक्शा शीट की तरमीम को खारिज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र में दिये गए तर्कों पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गयी याचना के अनुसार ग्राम नैनवां प्रथम की आराजी खसरा संख्या 4277 रकबा 0.2103 हैक्टर भूमि में से लगभग 0.08 बीघा भूमि पर जगदीश आ0 हरदेव जाति गुर्जर सा. देह को खातेदार घोषित करते हुए तथा खसरा सख्या 5922/4278 रकबा 0.2832 हैक्टर भूमि में से 1.07 बीघा भूमि पर जगदीश आ0 हरदेव जाति गुर्जर सा. देह की तरमीम शुद्ध करने हेतु निवेदन किया गया है। चूंकि धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तरमीम शुद्धि किये जाने हेतु है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नैनवां प्रथम की आराजी खसरा संख्या 5922/4278 रकबा 0.2832 हैक्टर की भूमि की तरमीम रिकार्ड में दर्ज रकबे के अनुसार तरमीम शुद्ध करने का आदेश प्रदान किया जाना धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम नैनवां प्रथम की आराजी खसरा संख्या 5922/4278 रकबा 0.2832 हैक्टर की भूमि की तरमीम रिकार्ड में दर्ज रकबे के अनुसार, प्रस्तावित नक्शा जिसे परिशिष्ट ''क'' नाम दिया गया है, के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 16.01.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

(सीमा मीणा)
आर0ए0एस(प्रशिक्षु)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 02/12/2024 03:04:37 PM

जिला :बूंदी

तहसील : नैनवा

भू. अ. नि. क्षेत्र :नैनवाँ

पटवारी हल्का :नैनवाँ

ग्राम : नैनवाँप्रथम

परिशिष्ट "क"

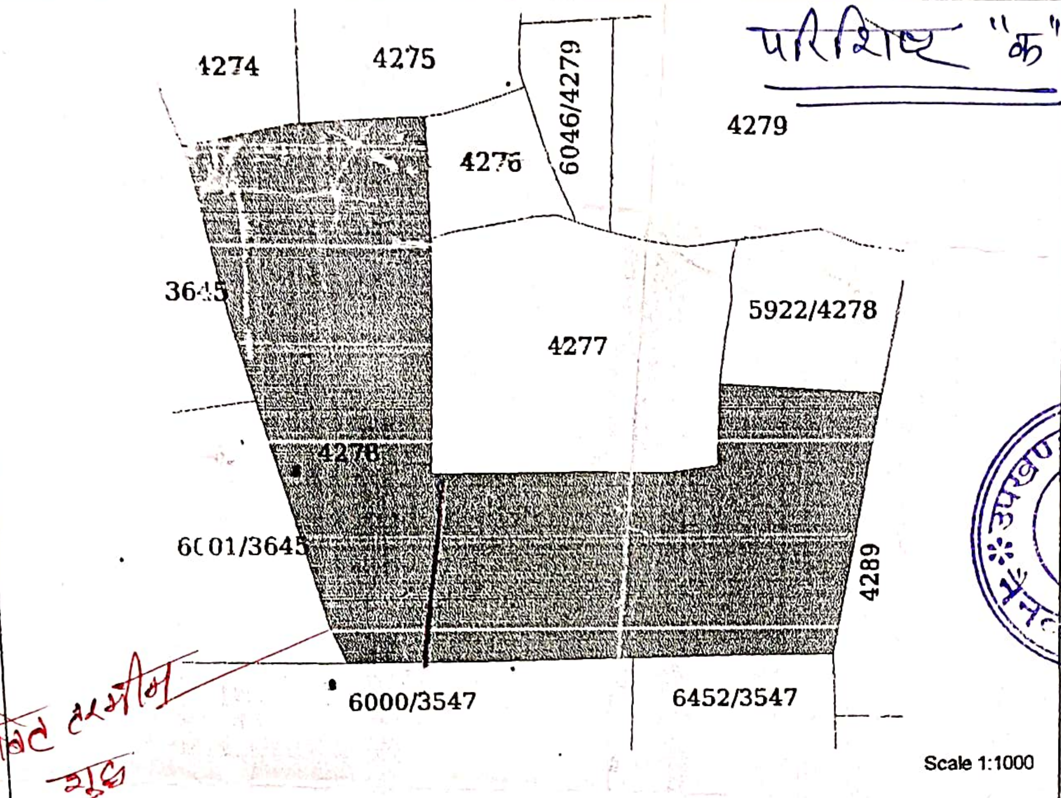

प्रस्तावित तरमीम शुद्ध

खसरा संख्या :4278 क्षेत्रफल : 0.2912 Hectare खाता संख्या : 422पुराना खाता संख्या :411

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बंजड़ [0.2912, 1.08]

1.) भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- पूर्ण जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार

02/12/2024

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

02/12/2024

पटवारी

नोट: 1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बूंदी)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट नैनवाँ (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)